प्र0कमांक–निग0–2764 / तीन / 2013

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

सक्षम– आशीष श्रीवास्तव,

सदस्य

यह निगरानी पकरण कमांक–2764–तीन / 2013 विरूद्ध अपर आयुक्त सागर संभाग के प्रकरण कमांक–564 / अपील / अ'6 / 2011–2012 पारित आदेश, दिनाक–04.–07–2013

1–रामकृष्ण वल्द मनोहरलाल चौबे,
निवासी ग्राम समनापुर तहसील व जिला सागर

.....आवेदक

विरूद्ध

1–मनोहर लाल वल्द नाथूराम चौबे, निवासी ग्राम समनापुर तहसील व जिला सागर
2–दामोदर वल्द नाथूराम मृतक के वारिस
अ. देवेन्द्र उम्र 54 वर्ष वल्द दामोदर
ब. माधवमुरारी बल्द दामोदर उम्र 42 वर्ष
स.उमाबाई पुत्री दामोदर उम्र 53 वर्ष
द. मणीबाई पुत्री दामोदर उम्र 51 वर्ष
ई. अवधरानी पत्नी दामोदर अम्रं 70 वर्ष
फ–गायत्रीबाई फोत उनके वारिस
क. अरबिन्द मिश्रा ग्राम पटौआ तहसील बंडा जिला सागर ।
जी–संतोषी पुत्री दामोदर पत्नी मनोज त्रिवेदी उम्र 40 वर्ष
निवासी मनोरमा कालोनी सागर ।
एच–लताबाई पुत्री दामोदर पत्नी शैलेन्द्र मिश्रा
निवासी ग्राम गोना तहसील सागर ।
3–नरेन्द्र वल्द रामकुमार चौबे
निवासी ग्राम समनापुर तहसील व जिला सागर

.....अनावेदकगण

श्री रामकृष्ण चौबे, स्वयं आवेदक
श्री अर्जुन पटेल, अभिभाषक अनावेदक

::

आ दे श ::

(पारित दिनांक– 06.11.2015)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग के द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–07–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2. प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता की दादी स्व. श्रीमती कस्तूरीबाई उर्फ रामदुलैया के नाम मौजा समनापुर में सर्वे कमांक–480 रकबा 1.21 हैक्टेयर जमीन थी जिसकी एक मात्र मालिक एवं भूमि स्वामी स्व0 श्रीमती रामदुलैया उर्फ कस्तूरीबाई थी। रामदुलैया ने देखभाल हेतु रामकृष्ण चौबे को अपनी ओर से कारंदा (कार्यकर्ता) नियुक्त किया गया था तथा अपनी उक्त कृषिभूमि का वसियतनाम दिनांक–5.12.87 को कर दिया था। वसीयतनामा/इकरारनामा के प्रकाश में आने से पहले रामदुलैया की मौत हो गयी, जिसके बाद ग्राम समनापुर की नामांतरण पंजी कमांक–8 वर्ष 2002–2003 पर पारित आदेश दिनांक–15.6.2003 से उक्त विवादित भूमि का नामांतरण अनावेदकों के नाम हो गया । इस कथित वसियतनामे के आधार पर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त नामांतरण पंजी पर हुए नामांतरण आदेश दिनांक–15.06.2003 की अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण कमांक–76/अपील/अ–6/02–03 पर दर्ज हुई एवं आदेश दिनांक–04.04.2006 से ग्राम समनापुर की नामांतरण पंजी कमांक–8 दिनांक–15.06.03 पर पारित नामांतरण आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि विधिवत इश्ताहार जारी कर, आपत्तियां आमंत्रित कर तथा आपत्तियां प्राप्त होने पर उनका निराकरण करते हुए और विधिवत उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर तीन माह में किया जाए। नायब तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के पालन में पटवारी अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम कराते हुए भूमि पुनः रामदुलैया उर्फ कस्तूरी बाई के नाम दर्ज करा दी गयी तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेशानुसार प्रकरण में नामांतरण हेतु आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी ।

तत्पश्चात दिनांक–20.07.2006 को आवेदक द्वारा कथित वसीयतनामा/इकरारनामा दिनांक–5.12.1987 जो आवेदक की दादी स्व. श्रीमती रामदुलैया उर्फ कस्तूरी बाई द्वारा आवेदक के पक्ष में लिखा गया था की प्रति के साथ एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सुरखी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार सुरखी द्वारा अपने राजस्व प्रकरण कमांक–23/अ–6/05–06 में पारित आदेश दिनांक–14.2.2011 से आवेदक रामकृष्ण चौबे के पक्ष में नामांतरण आदेश पारित किया गया तथा वसीयत /इकरारनामा पर विवादित संपत्ति की तत्समय की कीमत पर कलेक्टर गाइडलाइन से स्टाम्प डयूटी अदा करने के आदेश दिए गये । नायब तहसीलदार के इस आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जहां प्रकरण कमांक–53/अपील/अ–6/2010–2011 में पारित आदेश दिनांक–13.03.2012 से इस आधार पर अपील निरस्त की गयी कि अधीनस्थ न्यायालय ने *इकरारनामा को बिना पुष्टि किए वसियतनामा मानने की भूल की* है, एवं अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक–14.02.2011 को निरस्त कर दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से दुःखी होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी

जहां पर प्रकरण कमांक–564/अपील/अ'6/2011–2012 में पारित आदेश, दिनाक–04.–07–2013 से इस आधार पर अपील निरस्त की गयी कि *"दस्तावेज की प्रकृति न तो इकरारनामा जैसी है और न ही वसियतनामा जैसी / विधिअनुकूल भी नहीं लिखा गया है इसे पंजीकृत भी नहीं कराया गया है अतः यह विलेख कानूनी मान्यता भी नहीं रखता है"* / अपर आयुक्त सागर के उक्त आदेश दिनांक–04.07.2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

3. प्रकरण में मुख्य विवाद उक्त वसीयतनामे/इकरारनामे के आधार पर हुए नामांतरण से संबंधित है।

4. प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से बताया गया कि आवेदक के पक्ष में आवेदक की दादी स्व. श्रीमती रामदुलैया उर्फ कस्तूरी बाई ने उक्त विवादित भूमि का वसीयतनाम दिनांक–5.12.87 को किया गया था । उनके द्वारा आवेदक को अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति सहित स्वयं की देखभाल किए जाने हेतु कारंदा भी नियुक्त किया गया था जो प्रकरण के संलग्न है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अपनी दादी की मरते दम तक सेवा एवं खुशामद भी की गयी थी तथा उनकी मौत के बाद दाह संस्कार एवं तेरहवी भी आवेदक द्वारा ही की गयी थी । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, इकरारनामा/वसियतनामा एवं प्रकरण के साक्ष्य की गलत विवेचना कर यह माना गया है कि दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं जबकि अपर आयुक्त को यह स्पष्ट अंकित करना चाहिए था कि कौनसा दस्तावेज स्पष्ट नहीं है, जिसे स्पष्ट कराये जाने का अपील में प्रयास करना चाहिए था । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि अपर आयुक्त द्वारा स्वयं स्पष्ट एवं स्वच्छ कार्यवाही नहीं की गयी तो उन्हें वसीयतनामे की वैधता की जांच करने हेतु दोनों पक्षों को दीवानी न्यायालय में जाने की सलाह देना चाहिए थी। इस विधिक प्रकिया का पालन किए बगैर उनके द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया । इसके अतिरिक्त आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि दोनों अपीलीय न्यायालयों को प्रकरण में विधि के तथा हक के प्रश्न की उपस्थिति मानते हुए उभय पक्षों को अपने अपने हक का विनिश्चय कराने के लिए स्वतंत्र किया जाना चाहिए था तथा किए गये नामांतरण को हक के विनिश्चय तक स्थिर रखना चाहिए था । ऐसा न कर अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में न्याय सिद्धांत (सुखदेव काटन प्रेस उज्जैन बनाम स्टेट म.प्रत्र 1995 आर.एन.100, एवं बाला प्रसाद वि. प्रेमनारायण 1998 आर.एन.231 रे0बो0 डी.बी) मे यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि **नामांतरण का उद्येश्य अभिलेख को अद्यतन रखना है, नामांतरण किसी प्रकार का हक प्रदान नहीं करता है अपितु यह विधितः विधि के अनुसार अर्जित हक को मान्यता देता करता है ।** इसके अतिरिक्त (शिखर चन्द्र विरूद्ध सत्तार खां 1995 आर.एन.29) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि हक का अर्जन कानून से होता है नामांतरण एक भू–अभिलेख शुद्ध रखने की प्रकिया है । नामांतरण न किए जाने से कानून द्वारा अर्जित हक नष्ट नहीं होता । सिविल न्यायालय द्वारा हक की घोषणा होने पर राजस्व न्यायालय द्वारा भू–अभिलेख शुद्ध रखने की कार्यवाही की जानी चाहिए । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में कथित वसीयतनामे पर फर्जी हस्ताक्षर होने के संबंध में टिप्पणी की गयी है, तो इस संबंध में भी वसीयतनामा पर हुए रामदुलैया के हस्ताक्षरों की जांच कराये जाने की कार्यवाही की जाना चाहिए थी ताकि

फर्जी हस्ताक्षर संबंधी लगाये गये आरोप का उपचार हो जाता किन्तु ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रहे । उनके द्वारा ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 1978 रामगोपाल विरूद्ध ऋषिराज आदि का हवाला भी लिया गया । तथा कहा गया कि अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिविरूद्ध आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया । इसके अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे जिनका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालयों की प्रकरण पत्रिकाओं में अंकित होने से यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन्हें विचार में लिया जा रहा है ।

5. अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा बिना सूचना दिए तथा बिना बताए अपंजीकृत वसीयतनामा /इकरारनामा को वसीयत मानते हुए उसकी फोटोकापी के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की गयी है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त विवादित वसीयतनामा का कोई साक्षिक मूल्य भी नहीं है । विवादित वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण किया गया है। उसे यदि वसीयतनामा माना भी जाए तो उसकी मूल प्रति भी नहीं ली गयी है । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि प्रथमतः तो इकरारनामा वसीयतनामा होता ही नहीं है। इकरारनामे से दोनो पक्षों के जीवन काल में ही हुए करार को प्रभाव में लाया जा सकता है जबकि वसीयतनामा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभाव में आता है । यदि यह इकरारनामा है तो इसे पंजीकृत होना चाहिए एवं उनके जीवन काल में ही कार्यवाही करनी थी । इकरारनामा कर्ता स्व. रामदुलैया के मृत्यु के बाद कार्यवाही करना शून्य है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सर्वप्रथम तो इकरारनामा है या वसीयतनामा इस तथ्य की जांच होनी चाहिए इस प्रश्न का विनिश्चय होना चाहिए । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक का यह कहना कि इकरारनामा की अंतर्वस्तु वसीयतनामा जैसी है, तो आवेदक को इसे साक्ष्य से साबित करना चाहिए । यह भी कहा गया कि वसीयतनामा भले ही अपंजीकृत हो किन्तु इसे संपादित करने वाले व्यक्ति की स्वअर्जित संपत्ति होना चाहिए । विवादित संपत्ति स्वअर्जित संपत्ति नहीं थी। यह संपत्ति रामदुलैया को अपने मायके से यानी पितृपक्ष से प्राप्त हुई थी जो उनकी पैतृक संपत्ति कहलाएगी जिसकी वसियत करने का उन्हें अधिकार नहीं था। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त विवादित वसीयत को लिखने वाले के हस्ताक्षर एवं कथन क्यों नहीं कराये गये । वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत करने की बात कही थी तो इकरारनामा क्यों लिखा गया । इन तथ्यों की जांच करायी जाना चाहिए थी । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह तथ्य स्वीकार करते हुए लिखा है कि आवेदक एवं अनावेदक एक ही परिवार के सदस्य है तथा विषयांकित पैतृक संपत्ति यानी रामदुलैया के मायके पक्ष की संपत्ति के संबंध में एक सिविल वाद चला था जिसमें कार्यवाही करने एवं उनकी देखरेख करने हेतु सहमति से रामकृष्ण चौबे को कारंदा बनाया गया था। आवेदक उस दौरान उनके हस्ताक्षर कोरे कागजों पर कराता रहता था तथा उसी का फायदा उठाकर रामकृष्ण ने अपने नाम इकरारनामा लिखा लिया गया जो किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहराया जा सकता । ऐसे इकरारनाम को वसीयत मान कर उसके आधार पर किया गया नामांतरण आदेश निरस्तीयोग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ठीक ही निरस्त किया गया है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा वही लिखित तर्क की प्रति प्रस्तुत की गयी है जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिन्हें यहां पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उन्हें विचार में लिया जा रहा है ।

6- उभय पक्ष के अभिभाषकों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अनावेदक द्वारा यह कहा गया है कि नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया गया अभिलेख इकरारनामा है वसियत नहीं । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इकरारनामा इकरार करने वाले व्यक्तियों के जीवनकाल में ही प्रभाव में रहता है जबकि वसीयतनामा निष्पादनकर्ता के जीवनकाल में प्रभावी नहीं होता वह मरने के बाद ही प्रभावी होता है। यह भी कि वसीयत लिखते समय उसमें अंकित शब्दों को केवल नहीं देखा जाना चाहिए, उसके आशय को भी देखा जाना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में (पार्वती बाई बनाम दाउ बाई 1989 रा.नि. 146 म.प्र. उच्च न्याया.) में यह अभिनिर्धारित किया गया गया है कि वसीयत का निर्वचन करते समय मात्र शब्दों को नहीं देखना चाहिए अपितु वसीयतकर्ता के आशय को देखा जाना चाहिए । वसीयतकर्ता का क्या आशय था इसको प्रारंभिक तौर पर दस्तावेज की भाषा के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण दस्तावेज का अवलोकन किया जाना चाहिए ।

7. उपरोक्त न्याय सिद्धांतों के क्रम में इकरारनामा /वसीयतनामा दिनांक–05.12.1987 का अवलोकन किया गया जो रामदुलैया उर्फ कस्तूरीबाई द्वारा रामकृष्ण के पक्ष में संपादित किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित है कि 'हमारे मरने के बाद यह भूमि के हकदार आप (रामकृष्ण चौबे) रहेंगे यदि इस भूमि बाबत् कोई वाद विवाद हो तो सब झूठ समझा जावेगा" । उपरोक्त अंकित शब्दों से यह स्पष्ट है कि उक्त अभिलेख की प्रकृति वसीयत के स्वरूप की है, जिससे यह वसीयत मान्य की जा सकती है । दूसरे, अनावेदक का यह कहना कि इस विवादित इकरारनामे/ वसीयतनामे पर लेखकर्ता ज्योति गुप्ता के हस्ताक्षर नहीं है, तो इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस इकरारनामे/ वसीयतनामे पर लेखकर्ता के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से अंकित है एवं उसके द्वारा शपथपत्र के माध्यम से दिए गये कथनों में भी इकरारनामा लेख किया जाना स्वीकार किया गया है । तीसरे, इकरारनामा/वसीयतनामा की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं किए जाने का जो प्रश्न है तो इस संबंध में मूल इकनारनामे की प्रति प्राप्त की जानी चाहिए थी। चौथे, यह कि इकराननामा/वसीयत लेखिका ज्योति गुप्ता के कथनों का प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया, तो इस संबंध में यह कहना उचित नहीं है क्योंकि ज्योति गुप्ता द्वारा शपथ पत्र पर अपने कथन प्रस्तुत किए गये है जिनकी प्रति न्यायालय से प्राप्त की जाकर उसका प्रतिपरीक्षण के रूप में जवाब दिया जा सकता था । इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम 1872 मे निहित प्रावधानों के अनुक्रम में न्यायिक विद्धांत (बृजकिशोर गर्ग बनाम नारायण, 2000 राजस्व निर्णय 199 म.प्र. उच्च न्याया.) द्वारा यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "जो तथ्य अभिवचन में स्वीकार किया गया हो, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है"। ऐसी स्थिति में इकरारनामा लेखक ज्योति गुप्ता द्वारा अपने कथनों/अभिवचनों को शपथपत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया है, उसे प्रमाणित कराने अथवा प्रतिपरीक्षण की आवश्यकता नहीं है । फिर भी यदि अनावेदक आवश्यक समझता, तो शपथ पूर्वक किए गये लिखित कथनों की प्रति न्यायालय से प्राप्त कर उसका प्रतिपरीक्षण के रूप में प्रतिउत्तर देने के लिए वह स्वतंत्र था। इसी प्रकार इकरारनामा/वसीयतनामा के साक्षी श्री रविशंकर द्वारा भी अपने कथन शपथपत्र पर देते हुए वसीयतनामा उनके समक्ष लिखे जाने की पुष्टि की गयी है । जहां तक दो साक्षियों से प्रमाणित कराने की बात है तो उस समय वसीयतनामे पर जिन लोगों के हस्ताक्षर हुए उन्हीं से उसे प्रमाण्ति कराया जा सकता था।

8 जहां तक विवादित सम्पत्ती रामदुलैया उर्फ कस्तूरीबाई की पैतृक संपत्ति होने या उसकी स्वअर्जित संपत्ति होने का प्रश्न है, तो इस संबंध में यह अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित एवं वसीयतशुदा संपत्ती रामदुलैया की उसको पितृपक्ष से प्राप्त संपत्ति होकर स्त्रीधन कहलाएगी जिसका स्परूप स्वअर्जित संपत्ती का होगा एवं पितृपक्ष से प्राप्त संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार एवं स्वतंत्राधिकार है जिसके संबंध में निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र होकर स्वयं सक्षम होगी । ऐसी संपत्ति पर वह अपने जीवनकाल में हर प्रकार के अधिकारों से परिपूर्ण होगी । ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जो वसीयत लिखी गयी है, उसके लिए उस पर कोई कानूनी रूकावट नहीं है तथा वह इस संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का संव्यवहार करने के लिए स्वतंत्र है । इस संबंध में (**रूकमा वाई बनाम मांगीलाल 1998 राजस्व निर्णय उच्च न्याया. एवं ए.आई.आर.1987 सु.को. 558 एवं 1986 सु.को. 1753**) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि, **हिन्दू विधि**–पैत्रिक संपत्ति का विभाजन हो जाने पर जो संपत्ति प्राप्त हुई हो उसका स्वरूप स्वअर्जित संपत्ति का हो जाता है । इसी प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के संबंध में (सुरेश कुमार गुप्ता विरूद्ध बाबूलाल गुप्ता 2005 रा.नि. 416) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "महिला को विरासत में प्राप्त संपत्ति के संबंध में पूर्ण स्वामित्व होना पाया गया उसे विक्रय, बंधक, दान करने का अधिकार माना गया"। इसी प्रकार (रामथिरबाई वि. राधाकुमारी 1996 रा.नि. 347 उ. न्याया.) में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि महिला के आधिपत्य में होने वाली संपत्ती के संबंध में उसे पूर्ण स्वामित्व होना माना गया । इस प्रकरण में विवादित संपत्ती रामदलैया उर्फ कस्तूरी बाई को अपने पिता की ओर से विरासत में प्राप्त हुई है, जिसकी प्रकृति स्वअर्जित संपत्ति की होने से वह वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है । इस प्रकार उक्त न्यायसिद्धांतों के अनुसरण में विवादित वसीयत संदेह से परे मानी जाना चाहिए ।

9. जहां तक इस प्रकरण में विवादित वसीयत की जांच की जो बात अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में कही गयी है तो इस संबंध में एक सुस्थापित विधि है । इस संबंध में (गोपाल प्रसाद वि. लक्ष्मीबाई 2003 (2) छ.रा.नि.237) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वसीयत की बैधता का विनिश्चय करने की अधिकारिता सिर्फ सिविल कोर्ट को है, रेवेन्यू कोर्ट को यह अधिकारिता प्राप्त नहीं है । अनावेदक द्वारा अपने तर्क में यह बात भी उठायी गयी है कि वसीयत पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर फर्जी है, तो इस संबंध में यह तथ्य अनावेदक द्वारा अपने तर्को में स्वयं स्वीकार किया गया है कि आवेदक को कारंदा वसीयतकर्ता द्वारा अनावेदकगणों की सहमति से ही नियुक्त किया गया था । ऐसी स्थिति में यह तथ्य भी विचारणीय है, कि कारंदा पत्र पर जो हस्ताक्षर है, वही हस्ताक्षर इकरारनामा/वसीयत पर होने प्रतीत होते हैं । ऐसी स्थिति में यह किस प्रकार कहा जा सकता है कि वसीयत पर हस्ताक्षर फर्जी है। अतः, अनावेदक का यह कहना भी प्रथमदृष्ट्या सत्यता से परे है कि वर्सीयतकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर है जो स्वीकार योग्य नहीं है ।

10 उक्त के अतिरिक्त यह तथ्य भी अनावेदक अभिभाषक द्वारा उठाया गया कि कथित वसीयत को दो गवाहों से सिद्ध एवं प्रमाणित नहीं कराया गया है जबकि साक्ष्यों से प्रमाणित कराया जाना चाहिए था। यह तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है । लेकिन इस संबंध में यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि वसीयत जारी करते समय जिन लोगों के हस्ताक्षर थे तथा जिन लोगों के समक्ष वसीयतनामा/इकरारनामा लिखा गया था उनके द्वारा वसीयत को प्रमाणित किया जा चुका है एवं उन्हीं से उसे प्रमाण्ति कराया जा सकता था। ऐसी स्थिति में यह कहना कि दो व्यक्तियों से प्रमाणित कराया जाना चाहिए था, का बहुत अधिक महत्व नहीं रहता है ।

11. प्रकरण में विद्यमान स्थिति के संबंध में यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय में भी वही बिन्दु उठाये गये हैं जो अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उठाये गये थे, किन्तु इन दोनों अपीलीय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उभयपक्ष द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को स्पष्ट करने एवं उनका निराकरण करने का प्रभावी प्रयास नहीं किया गया और न ही अपने न्यायालयीन आदेशों को समुचित रूप से बोलते हुए स्वरूप में पारित किया गया । उचित होता यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित अभिलेख की वैधता एवं सत्यता के संबंध में आवश्यकतानुसार जांच कर स्पष्ट एवं समाधानकारक आदेश दिए जाते । इस तारतम्य में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश मौन हैं, जो उचित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जारी आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि मुख्य विवादित बिन्दु अनिर्णीत ही रहा, जिसके कारण यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्राप्त हुई । यदि उठाए गये बिन्दुओं का निराकरण करने का समुचित प्रयास अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किया जाता तो निश्चित ही मुख्य वाद बिन्दु का निराकरण विचारण न्यायालय से ही कराया जा सकता था। मात्र यह अंकित करते हुए कि *दस्तावेज की प्रकृति न तो इकरारनामा जैसी है और न ही वसीयतनामा जैसी । विधिअनुकूल भी नहीं लिखा गया है इसे पंजीकृत भी नहीं कराया गया है अतः यह विलेख कानूनी मान्यता भी नहीं रखता है*", अपील अस्वीकार किया जाना उचित नहीं है । इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपर आयुक्त द्वारा कानूनी पहलुओं पर गौर न करते हुए सरसरी तौर पर अपील का निराकरण किया गया है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी यह लिखते हुए कि *अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इकरारनामा को बिना पुष्टि किए वसीयतनामा मानने की भूल की है,* अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक–14.02.2011 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने पदीय न्यायिक अधिकारों का उपयोग करने में शिथिलता बरती गयी है जो सजग होकर न्यायालयीन कार्यवाही न करने का परिणाम है । यदि वे सजगता से कार्यवाही करते तो कानूनी पहलुओं पर विचार करते हुए आदेश पारित करते, जो कि उपरोक्त न्यायिक सिद्धांतों से स्पष्ट हो रहा है, जिसका पूर्णतः अभाव देखा गया है ।

12. आवेदक एवं अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में इस तथ्य पर भी जोर दिया गया है कि दोनों अपीलीय अधिकारियों द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया कि प्रकरण में स्वत्व का बिन्दु उत्पन्न हो गया है जिसका निराकरण करने की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को नहीं है। इस आधार पर तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालयों को विवादित बिन्दु का निराकरण करने हेतु सिविल न्यायालय में जाने की सलाह देनी चाहिए थी। इस संबंध में (पतित पावन सिंह बनाम सुहाबन बाई 1971, रा.नि.144 एवं संतराम विरूद्ध कमल सिंह 1971, रा.नि. 434 तथा करिया बनाम दामोदर, 1971 रा.नि. 11) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व न्यायालय का कर्तव्य है कि वह स्वत्व या अधिकार के बारे में संक्षिप्त रीति से निर्णय करें कि जिसको हक अपेक्षाकृत वैध रूप से पहुंचता है, यह पक्षकार को सिविल कोर्ट जाने के निर्देश नहीं दे सकती, यदि पार्टी सिविल कोर्ट जाने की इच्छुक है तो वह समय समुचित देगी । इन न्यायसिद्धांतों के परिपालन में उभय पक्ष विवादित भूमि के संबंध में उत्पन्न विवादित बिन्दु का विनश्चिय सिविल कोर्ट से कराने के लिए स्वतंत्र हैं ।

13. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी आदेश दिनांक–13.03.2012 एवं अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक–04.07.2013 विधिविरूद्ध एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाते हैं । नायब तहसीलदार द्वारा काफी विस्तृत एवं बोलता हुआ तथा विधिवत आपत्ति आमंत्रित करते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर आदेश

जारी किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं हो रही है । ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक–15.06.2003 को निम्नानुसार नवीन आदेश पारित होने तक के लिए स्थिर रखा जाता है, तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः नामांतरण आदेश पारित करने से पहले यदि संभव हो सके, तो मूल इकरारनामा जिसकी प्रकृति वसीयत के स्वरूप की है, की मूल प्रति अपने न्यायालय में प्रस्तुत करायी जावे तथा उसे विधि अनुसार साक्षियों से प्रमाणित कराया जावे । प्रमाणित कराये जाने के संबंध में विधिक न्यायसिद्धांत (रविशंकर वि राजेन्द्र प्रसाद दुवे 1999 रा.नि. 273 न्यायमूर्ति बी.के. अग्रवाल) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि " साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार कम से कम एक साक्षी की परीक्षा की जानी चाहिए"। उपरोक्त न्यायदृष्टांत के अनुसरण में विवादित वसीयतनामे पर अंकित साक्षियों में से कम से कम एक साक्ष्य का परीक्षण आवश्यक रूप से किया जावे तथा इकरारनामा/वसीयत लिखने वाली ज्योति गुप्ता के शपथ पत्र पर दिए गये बयानों की प्रति अनावेदक को प्रदाय कर उसका कूट परीक्षण के रूप में प्रतिउत्तर लिया जावे । इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम 1872 मे निहित प्रावधानों के अनुकम में प्रतिपादित न्यायिक विद्धांत (बृजकिशोर गर्ग बनाम नारायण, 2000 राजस्व निर्णय 199 म.प्र. उच्च न्याया.) में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है, कि "जो तथ्य अभिवचन में स्वीकार किया गया हो, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं मानी गयी । इस प्रकरण में वसीयत–लेखिका ज्योती गुप्ता द्वारा शपथ पत्र के साथ अपने कथन प्रस्तुत किए जाकर अंकित तथ्य स्वीकार किए गये है, जिनका प्रतिपरीक्षण आवश्यक नहीं है, फिर भी न्यायहित में यदि अनावेदक द्वारा जैसा कि अपने तर्को में कहा गया है कि उसे वसीयतनामा लेखक के कथनों का प्रतिपरीक्षण नहीं कराया गया, तो वसीयत नामा लेखिका ज्योती गुप्ता की ओर से शपथपत्र पर प्रस्तुत कथनों की प्रति उपलब्ध करायी जाकर प्रतिपरीक्षण के रूप में प्रतिउत्तर लिये जाने का अवसर दिया जावे तथा सहज न्याय के सिद्धातों एवं संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नीतिगत निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापिस हों। पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,ग्वालियर